न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./21/2020/बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. मालाराम पुत्र वनाराम	बनाम	1.वरजोंगा पुत्र प्रागा
2. आदाराम पुत्र वनाराम		2.दजा पुत्र प्रागा
3. खंगराराम पुत्र वनाराम		3.प्रभु पुत्र प्रागा
जाति कलबी निवासी		4.हेमाराम पुत्र गीगा
खारवा तहसील		5.गणपतराम पुत्र गीगा
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		6.वालाराम पुत्र गीगा
		7.धापू पत्नी गीगा
		8.भूरा पुत्र मांगा का.मु.
		8/1नेथीराम पुत्र भूराराम
		8/2छगना पुत्र भूराराम
		8/3कुम्भी पत्नी भूराराम
		9.भगा पुत्र मांगा
		10.वधा पुत्र मांगा
		11.हरदा पुत्र मांगा
		12.स्व.मेहरा पुत्र धर्मा का.मु.
		12/1वीरमा पुत्र मेहरा
		12/2रामा पुत्र मेहरा
		12/3सांवला पत्र मेहरा
		13.हाजा पुत्र मदरूपा
		14.लाला पुत्र मदरूपा
		15.ईशरा पुत्र मदरूपा
		16.गुणेशा पुत्र मदरूपा
		17.नीम्बा पुत्र मदरूपा
		18.ओखा पुत्र हमीरा
		19.कृष्ण पुत्र मोडाराम
		20.आदाराम पुत्र मोडाराम
		21.महादेवाराम पुत्र भैराराम
		22.रूगाराम पुत्र भैराराम जाति कलबी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निवासी खारवा तहसील गुड़ामालानी

23.शाखा प्रबन्धक बी सी सी बी गुड़ामालानी

24.शाखा प्रबन्धक एस बी आई गुड़ामालानी

26.राज. राज्य जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व आवेदन संख्या 83/2019 बअनवान वरजोंगा बनाम मालाराम में पारित आदेश दिनांक 31.08.2020 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री खेताराम सैन रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 8/1 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 16.12.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 07 तक ने अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 08 से 26 के विरूद्ध इस आशय का एक आवेदन पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा खारवा तहसील गुड़ामालानी खसरा संख्या 532/1 रकबा 44.07 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने हेतु का कोई कटाण रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपने खेत तक पहुंचने हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 13 के खसरा संख्या 536 रकबा 26.12 बीघा में से रास्ता स्वीकृत करवाना के लिए अधीनस्थ न्यायालय के सक्षम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही हस्तगत प्रकरण में रास्ता निकालने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि को दो भागो में विभक्त कर भूमि की उपयोगिता नष्ट कर दी। उतरदाता के पास स्वयं की भूमि के सेढासेढ रास्ता विद्यमान था लेकिन अपीलांट को नुकसान पंहुचाने की नियत से अपीलाधीन रास्ते की मांग की गई। अपीलांट को अंधेरे में रखकर उसके हितो पर विपरीत प्रभाव पड़ा है तथा वास्तविकता को छिपाया गया है। अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलांट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट को अपने खेत खसरा संख्या 532/1 में आने–जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के खेत में से रास्ता काट कर कानूनी भूल की है। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि को दो भागो में विभक्त कर भूमि की उपयोगिता नष्ट कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 532/1 में जाने के लिए इस प्रदत्त रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि फर्द मौका दिनांक 16.09.2019 के अनुसार "आवेदक/अपीलांट की खातेदारी खेत खसरा संख्या 532/1 में आवागमन हेतु वर्तमान में कोई कटाण रास्ता या सड़क सुविधा उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ता ही सड़क सुविधा से जुड़ने का निकटतम विकल्प है। धारा 251क के तहत आवेदक को प्रथम रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता हो, द्वितीय अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता न हो। प्रस्तुत प्रकरण में सुगम आवागमन हेतु रेस्पोडेंट/प्रार्थी को भी रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है एवं उसे सर्वोतम विकल्प रूप में चयनित भूमि को रास्ते हेतु कटान किये जाने के आदेश दिये गये हैं। प्रार्थी के खेत तक पहुंच हेतु एक रास्ता का विकल्प खसरा संख्या 529 में से तथा दूसरा विकल्प खसरा संख्या 530 व 536 में होकर है। दोनों विकल्पों में से पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड मुताबिक समान रकबा अर्थात् 03 बिस्वा भूमि उपयोग में ली जानी है। खसरा संख्या 536 में रास्ते के संरेखण में एक ढांचा निर्मित होने से खसरा संख्या 530 की 01 बिस्वा भूमि ली गई है ताकि ढांचे को भी सुरक्षित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रखा जा सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपयुक्त और सर्वोतम विकल्प वाला रास्ता चुना जाकर प्रदत्त करने के आदेश दिये है जो नितांत समुचित एवं नयायसंगत है। इसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं दिखता। अपीलांट पक्ष की मंशा रेस्पोडेंट को रास्ता दिये जाने के अधिकार से वंचित रखना है। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है, और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांट के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है।

उपरोक्त विवेचन और तथ्यों के विश्लेषण के आलोक में रेस्पोडेंट को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है और प्रदत्त रास्ता लघुतम दूरी वाला है। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से रेस्पोडेंटस को रास्ता देने के संबंध में अपीलाधीन आदेश पूर्णतया वैधानिक एवं युक्तियुक्त होने से अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व आवेदन संख्या 83/2019 बअनवान वरजोंगा बनाम मालाराम में पारित आदेश दिनांक 31.08.2020 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर